

15/09/21

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

निम्नांकित प्राध्यापक-हिन्दी द्वारा लिये गये अवकाश का राजस्थान सेवा नियम भाग-1 के नियम 93 (2) के तहत रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

| क्र. सं. | नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान | अवकाश का विवरण | कुल दिवस (रूपान्तरित अवकाश) |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | श्री राधामोहन शर्मा, व्या.-हिन्दी, राउमावि, इनायती-सपोटरा, जिला करौली | दिनांक-20.10.2019 से 16.05.2020 तक | 208 दिवस |

उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में किया जावें।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/10909/अवकाश प्रकरण/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक- 23/09/21

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
- 2 सिस्टम ऍनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
- 4 संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
- 5 संबंधित कार्मिक
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर